न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2021/24

1. अक्षय राठौड पुत्र स्वर्गीय श्री प्रहलाद सिंह जाति राजपूत ।
2. कमला राठौड पत्नी स्वर्गीय श्री प्रहलाद सिंह जाति राजपूत ।
3. जयन्त राठौड पुत्र स्वर्गीय श्री प्रहलाद सिंह जाति राजपूत निवासीगण ग्राम अकावद तहसील खानपुर जिला झालावाडा हाल निवासी रायपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. प्रताप सिंह पुत्र भंवर सिंह जाति राजपूत निवासी किशनपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा हाल निवासी ग्राम अकावद तहसील खानपुर जिला झालावाड ।
2. राजेन्द्र सिंह पुत्र भंवर सिंह जाति राजपूत निवासी किशनपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा ।
3. विक्रम सिंह पुत्र श्री भंवर सिंह जाति राजपूत निवासी किशनपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा ।
4. भरत सिंह पुत्र स्वर्गीय आनन्द सिंह जाति राजपूत ।
5. रघुराज सिंह पुत्र स्वर्गीय आनन्द सिंह जाति राजपूत ।
6. हरिसिंह पुत्र स्वर्गीय आनन्द सिंह जाति राजपूत निवासीगण ग्राम अकावद तहसील खानपुर जिला झालावाड ।
7. भगवान कंवर पुत्री स्वर्गीय आनन्द सिंह पत्नी भरत सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम मूंडली जिला बारां ।
8. लक्ष्मी कंवर पुत्री स्वर्गीय आनन्द सिंह जाति राजपूत निवासी रंगबाडी कोटा ।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सांगोद जिला कोटा ।
10. उप पंजीयक, उप पंजयीक कार्यालय सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा ।

---रेस्पोडन्ट

अपील संख्या : 2021/25

1. अक्षय राठौड पुत्र स्वर्गीय श्री प्रहलाद सिंह जाति राजपूत ।
2. कमला राठौड पत्नी स्वर्गीय श्री प्रहलाद सिंह जाति राजपूत ।
3. जयन्त राठौड पुत्र स्वर्गीय श्री प्रहलाद सिंह जाति राजपूत निवासीगण ग्राम अकावद तहसील खानपुर जिला झालावाडा हाल निवासी रायपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. प्रताप सिंह पुत्र भंवर सिंह जाति राजपूत निवासी किशनपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा हाल निवासी ग्राम अकावद तहसील खानपुर जिला झालावाड ।
2. राजेन्द्र सिंह पुत्र भंवर सिंह जाति राजपूत निवासी किशनपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा ।
3. विक्रम सिंह पुत्र श्री भंवर सिंह जाति राजपूत निवासी किशनपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा ।
4. भरत सिंह पुत्र स्वर्गीय आनन्द सिंह जाति राजपूत ।
5. रघुराज सिंह पुत्र स्वर्गीय आनन्द सिंह जाति राजपूत ।
6. हरिसिंह पुत्र स्वर्गीय आनन्द सिंह जाति राजपूत निवासीगण ग्राम अकावद तहसील खानपुर जिला झालावाड ।
7. भगवान कंवर पुत्री स्वर्गीय आनन्द सिंह पत्नी भरत सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम मूंडली जिला बारां ।
8. लक्ष्मी कंवर पुत्री स्वर्गीय आनन्द सिंह जाति राजपूत निवासी रंगबाडी कोटा ।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सांगोद जिला कोटा ।
10. उप पंजीयक, उप पंजयीक कार्यालय सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री रविन्द्र खण्डेलवाल, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से दोनों अपीलों में ।
2. श्री भगवती प्रसाद बल्लभ शर्मा, श्री आर0 पी0 नागर, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट क्रम 1 लगायत 3 की ओर से दोनों अपीलों में ।

निर्णय

दिनांकः 27.09.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त दोनों अपीलें अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.12.2020 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. उक्त दोनों अपीलें समान प्रकृति की होने तथा एक ही वादग्रस्त आराजी से सम्बन्धित होने तथा सामन पक्षकार होने से उक्त दोनों अपीलों का निर्णय इस एकल निर्णय से किया जा रहा है । निर्णय की प्रति अलग–अलग पत्रावली में संलग्न की जावे ।

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट क्रम 1 लगायत 3 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम किशनपुरा तहसील सांगोद में खाता संख्या 107 में कुल 25

किता की रकबा 4.29 हैक्टर एवं खाता संख्या नया 108 में कुल 10 किता की रकबा 17.97 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि प्रार्थीगण के संयुक्त खाते एवं कब्जे काश्त की भूमि है । उक्त दोनों आराजियात फतह सिंह व माधो सिंह दोनों ने मिलकर क्रय की थी । माधोसिंह की मृत्यु के बाद उनके लडके गुलाब सिंह के नाम खाते दर्ज हुई । फतेह सिंह के 03 लडके जगन्नाथ सिंह, मोहन सिंह एवं इन्दरसिंह थे । मोती सिंह, फतेह सिंह के जीवनकाल में ही उनके लडके मोहन सिंह की मृत्यु हो गई जिनके लडके आनन्द सिंह थे तथा इसी प्रकार इन्दर सिंह की भी फतेह सिंह के जीवनकाल में ही मृत्यु हो गई तथा मोती सिंह गोद चला गया जिसका लडका प्रहलाद सिंह था । फतेह सिंह का सबसे बडा लडका जगन्नाथ सिंह था तथा संवत् 2015 में फतेह सिंह की 1/2 हिस्से पर जगन्नाथ सिंह का नाम दर्ज हो गया और सम्पूर्ण 1/2 हिस्से पर जगन्नाथ सिंह का ही कब्जा काश्त रहा । गुलाब सिंह अपने हिस्से की 1/2 आराजी को अलग ही काश्त करते थे । जगन्नाथ सिंह उर्फ गोरधन सिंह जगन्नाथ का नाम जगदीश सिंह भी था । संवत् 2015 से 2024 में सम्पूर्ण 1/2 हिस्से पर जगन्नाथ सिंह पुत्र फतेह सिंह राजपूत का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गया । वादग्रस्त आराजी के 1/2 हिस्से पर फतेह सिंह के स्थान पर उसके सबसे बडे लडके जगन्नाथ सिंह का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने व सम्पूर्ण आराजी का जगन्नाथ सिंह द्वारा ही कब्जा काश्त व उपयोग उपभेग करने से आनन्द सिंह पुत्र मोहन सिंह व प्रहलाद सिंह पुत्र इन्दर सिंह दोनों ने ही एक वाद उप जिला कलक्टर रामगंजमण्डी में दिनांक 28.08.1965 को प्रस्तुत किया जिसमें वाद प्रस्तुती की दिनांक के पूर्व से ही जगन्नाथ सिंह द्वारा कब्जा काश्त किया जाना अंकित किया गया । उक्त वाद को दिनांक 03.02.1970 को उप जिला कलक्टर ने अपने आदेश से खारिज कर दिया । प्रार्थीगण के दादा जगन्नाथ सिंह की मृत्यु के बाद उनके वारिस भंवर सिंह का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गया । उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी द्वारा पारित निर्णय की पालना नहीं होने से उक्त भूमि में मृतक आनन्दसिंह व प्रहलाद सिंह का भी राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज रहा जबकि उनकी मृत्यु काफी समय पहले हो चुकी है । उक्त इन्द्राज का फायदा उठाकर उनके वारिसान राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाने पर आमादा हैं । उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी द्वारा पारित निर्णय की अवहेलना करते हुए प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 3 द्वारा उक्त निर्णय को छुपाकर राजस्व कर्मचारियों से मिली भगत करके अपने पिता का फौती इंतकाल संख्या 639 ग्राम पंचायत किशनपुरा से दिनांक 05.02.2020 को तस्दीक करवा लिया जो प्रारम्भ से ही शून्य है । राजस्व रिकॉर्ड में उक्त गलत इन्द्राज हो जाने से वे उक्त भूमि से गलत तरीके से गिरवी रखकर ऋण प्राप्त करने पर आमादा हैं और उक्त भूमि को बेचान करने पर आमादा हैं जिसका उन्हें अधिकार प्राप्त नहीं है । प्रार्थीगण प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति उनके पक्ष में है ।

4. अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ताफैसला वाद प्रार्थीगण के पक्ष में अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि अप्रार्थीगण ताफैसला वाद वादग्रस्त आराजी को रहन, बेचान एवं अन्य किसी प्रकार से खुर्द–बुर्द नहीं करे । प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करे । उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनायी रखी जावे । उक्त कृत्य न तो स्वयं अप्रार्थीगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

5. अप्रार्थी कम 02 ने जवाब प्रार्थना पत्र मय काउन्टर प्रार्थना पत्र एवं रिसीवर नियुक्त करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज करने एवं काउन्टर प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का कथन किया ।

6. तत्पश्चात् अप्रार्थी कम 1 लगायत 3 ने परीक्षण न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 एवं धारा 11 एवं 151 सीपीसी का प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में पूर्ववाद सख्या 157/1965 में निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.02.1970 में तनकी संख्या 06 निर्णित की जा चुकी हैं जिसके विपरीत कथन करने एवं पुनः पश्चातवर्ती वाद व टीआई प्रस्तुत करने से प्रार्थीगण कानूनन एस्टोप्ड हैं जिसके कारण उक्त वाद एवं टी आई मेन्टेनेबल नहीं हैं । पूर्ववाद में प्रार्थीगण के दादाजी जगन्नाथसिंह जी द्वारा प्रस्तुत जवाबदावे की विशेष आपत्ति में वादग्रस्त आराजी को खुदकाश्त की आराजी होना अंकित किया है जिसके कारण उपखण्ड अधिकारी कोटा द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.01.1958 वादग्रस्त आराजी पर कोई असर नहीं रखता है जिसके सम्बन्ध में (पूर्ववाद) तनकी संख्या 02 निर्णित की जा चुकी है । अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मेन्टेनेबल नहीं होने से खारिज फरमाया जावे ।

7. प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया ।

8. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 30.12.2020 के द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी कम 1 लगायत 3 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर प्रार्थना पत्र एवं रिसीवर नियुक्त करने का प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का आदेश पारित किया ।

9. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.12.2020 से व्यथित होकर अप्रार्थी कम 1 लगायत 03 अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में उक्त दोनों अपीलें प्रस्तुत कर दोनों अपील अपीलान्ट स्वीकार कर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.12.2020 निरस्त करने का कथन किया ।

10. दोनों अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

11. दोनों अपीलों में अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि परीक्षण न्यायालय के द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्य का अवलोकन किये बिना प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दु पर विचार किये बिना निर्णय पारित किया गया है । सेटलमेंट से पूर्व जमाबन्दी संवत् 2012–15 में खतौनी संख्या 23 में कुल 402 बीघा 18 बिस्वा आराजी गुलाब सिंह वल्द माधो सिंह हिस्सा 1/4, गोरधन सिंह पुत्र नन्दसिंह हिस्सा 1/4, प्रार्थी रेस्पोडेन्टगण कम 1 लगायत 3 के दादा जगन्नाथ सिंह अपीलान्ट के पिता एवं पति प्रहलाद सिंह व रेस्पोडेन्ट कम 4 लगायत 8 के पिता आनन्द सिंह हिस्सा 1/2 दर्ज था । जगन्नाथ सिंह, आनन्द सिंह, प्रहलाद सिंह के

द्वारा उक्त भूमि में से खसरा नम्बर 524, खसरा नम्बर 170, खसरा नम्बर 253 एवं खसरा नम्बर 243 की 29 बीघ 18 बिस्वा आराजी का विक्रय सन् 1955 में कर दिया गया । शेष बची आराजी का गुलाब सिंह, गोरधन सिंह से जगन्नाथ सिंह, आनन्द सिंह एवं प्रहलाद सिंह का विभाजन हो गया । गुलाब सिंह एवं नन्दसिंह की आराजी उनके पृथक खाते में दर्ज होने के पश्चात् जमाबन्दी संवत् 2015–16 की खतौनी संख्या 82 में कुल 30 किता की 198 बीघा 09 बिस्वा जगन्नाथ सिंह, आनन्दसिंह एवं प्रहलाद सिंह के हिस्से में दर्ज हुई । सहखातेदार जगन्नाथ सिंह का देहान्त हो जाने के पश्चात् रेस्पोडेन्ट क्रम 1 लगायत 3 के पिता भंवर सिंह का नाम दर्ज हुआ । आराजी प्रारम्भ से ही संयुक्त खाते में दर्ज रही है । प्रहलाद सिंह एवं आनन्द सिंह की मृत्यु के बाद उनका हिस्सा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार अपीलान्ट और रेस्पोडेन्ट क्रम 4 लगायत 8 को प्राप्त हुआ । अपीलान्ट अपने हिस्से पर काबिज है रेस्पोडेन्ट इस आराजी को अकेले हडपना चाहते हैं । उनके द्वारा 30 बीघा 01 बिस्वा आराजी का बेचान कर दिया गया है वो आराजी को खुर्द–बुर्द करने पर आमादा हैं । इस कारण अपीलान्टगण ने परीक्षण न्यायालय में रिसीवर नियुक्त करने का प्रार्थना पत्र पेश किया था जिसको गैर कानूनी रूप से खारिज किया गया है । सेटलमेंट विभाग के द्वारा सन् 2015 की जमाबन्दी में यह आराजी गलत रूप से केवल जगन्नाथ सिंह के खाते में दर्ज कर दी । संवत् 2015–16, संवत् 2020–23 की खतौनी संख्या 46 और संवत् 2024–27 और संवत् 2032–35 से वर्तमान तक आराजी जगन्नाथ सिंह, आनन्द सिंह और प्रहलाद सिंह के खाते में दर्ज रही है । प्रहलाद की मृत्यु के बाद इंतकाल संख्या 639 दिनांक 05.02.2020 से यह आराजी अपीलान्टगण के खाते में दर्ज हुई है । केवल मात्र संवत् 2015 में जगन्नाथ सिंह का नाम दर्ज हो जाने से सम्पूर्ण आराजी उनके खाते में नहीं हो सकती । परीक्षण न्यायालय ने त्रुटिपूर्ण रूप से रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलान्टगण जो कि सहखातेदार हैं उनको पाबन्द कर दिया है । जगन्नाथ सिंह के द्वारा पूर्व दावा संख्या 157/65 उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी में पेश जवाबदावे में आराजी को खुदकाश्त की बताया था । परीक्षण न्यायालय के द्वारा भी इस आराजी को खुदकाश्त की होना बताकर उस पर जागीर कानून एवं डिप्टी कलक्टर के आदेश लागू नहीं होने का निर्णय पारित किया था । सहखातेदार के खिलाफ कब्जा मुखालफाना नहीं हो सकता । एक सहखातेदार का कब्जा सभी का माना जाता है । पूर्व वाद संख्या 157/65 सिर्फ इस आधार पर खारिज किया गया था कि इसमें ग्राम किशनपुरा के साथ ग्राम अकावत की आराजी को शामिल नहीं किया गया था इससे खातेदारी अधिकार समाप्त नहीं हो जाते हैं । रेस्पोडेन्ट वादग्रस्त आराजी को खुर्द–बुर्द करने पर आमादा हैं । पूर्व दावे में जगन्नाथ सिंह को अकेले खातेदार घोषित नहीं किया गया था । सहखातेदारों को अपने हिस्से के बेचान का अधिकार होता है फिर भी अपीलान्टगण जो कि सहखातेदार है उनको पाबन्द किया गया है । इन तथ्यों के आधार पर दोनों अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.12.2020 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरएलडब्ल्यू 2009 (1) (राज0) पेज 483, आरआरडी 2003 पेज 113, आरएलडब्ल्यू 2007 (1) (राज0) पेज 412, आरआरडी 2016 (1) पेज 300, आरआरडी 2013 (2) पेज 1108 उद्वरत की ।

12. रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम किशनपुरा की वादग्रस्त आराजी जागीरदार फतेह सिंह ने क्रय की थी यह पर्सनल प्रोपर्टी थी या जागीर की थी यह मूल वाद में तय होगा । अगर जागीर की मानी जावे तो सबसे बडे पुत्र जगन्नाथ सिंह इसका मालिक होगा । वादग्रस्त आराजी जगन्नाथ सिंह के खाते में दर्ज रही है और कब्जा भी उनका

ही रहा है । प्रहलाद सिंह और आनन्द सिंह ने एक दावा जगन्नाथ सिंह के खिलाफ पेश किया था वो खारिज हो गया है यह दावा धारा 183 और बंटवारे का था इस कारण अब अपीलान्ट का दावा रेसजूडीकेटा से बाधित है अथवा नहीं यह भी मूल दावे में तय होगा । मात्र नामान्तरकरण सन् 2020 से अपना नाम खुला लेने के आधार पर अपीलान्टगण को वादग्रसत आराजी का सहखातेदार नहीं माना जा सकता । नामान्तरकरण त्रुटिपूर्ण रूप से अपीलान्टगण के पक्ष में खोला गया है इस नामान्तरकरण के आधार पर वो वादग्रस्त आराजी को बेचान करने पर आमादा हैं जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है । आराजी इनमिडियो नहीं है । वादग्रस्त आराजी पर कब्जा रेस्पोडेन्टगण का है इसलिए उस पर रिसीवर नियुक्त नहीं किया जा सकता । रिसीवर एक कठोरतम व्याधि है । काबिज व्यक्ति को बेदखल कर रिसीवर नियुक्त नहीं किया जा सकता । अपीलान्ट का विगत 25 वर्षों में कभी भी वादग्रस्त आराजी पर कब्जा नहीं रहा है केवल कागजी आधार पर सहखातेदार दर्ज हो जाने से अपीलान्टगण को वादग्रस्त आराजी में किसी प्रकार के हित निहित नहीं हैं, वो इस इन्द्राज के आधार पर इस आराजी को खुर्द–बुर्द करने पर आमादा हैं । जब तक परीक्षण न्यायालय के निर्णय में कोई सारभूत त्रुटि न हो उसको अपील में निरस्त नहीं किया जा सकता । परीक्षण न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करते हुए अपीलान्टगण को पाबन्द किया है और उनका रिसीवर का प्रार्थना पत्र खारिज किया है । अतः दोनों अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.12.2020 बहाल रखा जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरएलडब्ल्यू 1988 (1) पेज 850, आरएलडब्ल्यू 2018 (4) (एससी) पेज 285, आरबीजे 2007 (14) पेज 52, आरएलडब्ल्यू 2014 (2) पेज 1561, आरएलडब्ल्यू 2014 (2) पेज 1656, आरएलडब्ल्यू 1965 (2) पेज 528, आरबीजे 2008 पेज 311, आरबीजे 2019 (26) पेज 274, आरआरडी 2010 पेज 748, आरबीजे (25) 2018 पेज 562, आरबीजे (27) 2020 पेज 82 उद्वरत की ।

13. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । परीक्षण न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र रेस्पोडेन्ट क्रम 1 लगायत 3 के द्वारा अपीलान्ट एवं अन्य के खिलाफ धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया गया है । जवाब प्रार्थना पत्र मय काउन्टर टी0आई0 अपीलान्टगण द्वारा पेश कर 1/3 हिस्से पर रिसीवर नियुक्त करने की प्रार्थना की है । परीक्षण न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय से रेस्पोडेन्टगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलान्टगण का काउन्टर प्रार्थना पत्र बाबत् नियुक्त किये जाने रिसीवर खारिज किया गया है ।

14. परीक्षण न्यायालय की पत्रावली पर एक आदेश उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी का दिनांक 03.02.1970 संलग्न है जिसके अनुसार आनन्द सिंह और प्रहलाद सिंह का दावा खारिज किया गया है । न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के निर्णय दिनांक 24.01.1980 की प्रति संलग्न है जिसके अनुसार अपील खारिज की गई है । परीक्षण न्यायालय की आदेशिका की फोटो प्रतियॉ भी पत्रावली पर संलग्न की गई हैं । दावे की फोटो प्रति संलग्न है जिसके अनुसार दावा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 89, 183 एवं 53 के तहत पेश किया गया है । पत्रावली पर फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2028–29 संलग्न है जिसके अनुसार कुल 09 किता की 35 बीघा 09 बिस्वा आराजी गुलाब सिंह व गोरधन सिंह के खाते में दर्ज है । नकल जमाबन्दी संवत् 2028–31, 2045–48 भी संलग्न है । फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2015–24 में वादग्रस्त आराजी गुलाब सिंह और जगन्नाथ सिंह के संयुक्त खाते में दर्ज है ।

फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2072–75 के अनुसार वादग्रस्त आराजी में प्रहलाद सिंह पुत्र इन्द्रसिंह का 1/3 हिस्सा दर्ज है । फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2076–79 संलग्न है जिसके अनुसार वादग्रस्त आराजी में आनन्द सिंह हिस्सा 1/3, प्रहलाद सिंह हिस्सा 1/3 दर्ज है । पत्रावली पर नामान्तरकरण संख्या 84 संलग्न है जिसके अनुसार वादग्रस्त आराजी जगन्नाथ सिंह, आनन्द सिंह और प्रहलाद सिंह के संयुक्त खाते में दर्ज है । जगन्नाथ सिंह के स्वर्गवास पर उनके वारिसों के नाम उनका हिस्सा दर्ज किया गया है । नामान्तरकरण संख्या 107 की प्रति भी संलग्न है जिसके अनुसार प्रहलाद सिंह की मृत्यु हो जाने पर उनका हिस्सा अपीलान्टगण के खाते में दर्ज किया गया है । यह नामान्तरकरण दिनांक 05.02.2020 को खोला गया है । पत्रावली पर पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट संलग्न है । खसरा गिरदावरी की फोटो प्रतियॉ और कुछ रसीदों की फोटो प्रतियॉ भी पत्रावली पर संलग्न हैं । जागीर के समय की जमाबन्दी की फोटो प्रति संलग्न है जिसके अनुसार वादग्रस्त आराजी गुलाब सिंह और गोरधन सिंह के संयुक्त खाते में दर्ज है । फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सन् 1963 में वादग्रस्त आराजी में जगन्नाथ सिंह, आनन्द सिंह एवं प्रहलाद सिंह सहखातेदार दर्ज हैं । इसके अलावा अन्य भी कुछ दस्तावेजात पेश किये गये हैं जो पत्रावली में संलग्न है ।

15. पत्रावली में जो दस्तावेजात पेश किये गये हैं उनके अनुसार कई राजस्व रिकॉर्ड की प्रतियों में जगन्नाथ सिंह, प्रहलाद सिंह एंव आनन्द सिंह सहखातेदार दर्ज हैं और जमाबन्दी संवत् 2015–24 में गुलाब सिंह के साथ सिर्फ जगन्नाथ सिंह का नाम दर्ज है । हाल राजस्व रिकॉर्ड में अपीलान्टगण भी सहखातेदार दर्ज हैं । रेस्पोडेन्टगण का यह कथन है कि वादग्रस्त आराजी जगन्नाथ सिंह सबसे बडा पुत्र होने के नाते उनके नाम दर्ज की गई थी और उनका ही कब्जा रहा है । अपीलान्टगण ने गलत रूप से नामान्तरकरण अपने नाम दर्ज करवा लिया है जबकि मौके पर उनके कब्जा नहीं है । अपीलान्टगण का यह कथन है कि वो प्रहलाद सिंह के वारिस होने के नाते वादग्रस्त आराजी के सहखातेदार हैं और रेस्पोडेन्ट उनके कब्जे में हस्तक्षेप कर रहे हैं इस कारण उनके 1/3 हिस्से पर रिसीवर नियुक्त किया जावे । पक्षकारों के अधिकार एवं स्वत्व मूल दावे में साक्ष्य के उपरान्त तय होंगे इस स्टेज पर नहीं । इस स्टेज पर अपीलान्ट और रेस्पोडेन्ट वादग्रस्त आराजी के सहखातेदार दर्ज हैं । परीक्षण न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करते हुए मात्र अपीलान्टगण जो कि राजस्व रिकॉर्ड में सहखातेदार दर्ज है उनको विक्रय न करने एवं रेस्पोडेन्टगण के कब्जे में हस्तक्षेप न करने हेतु पाबन्द किया है जबकि अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट वादग्रसत आराजी के सहखातेदार हैं ।

16. रिसीवर नियुक्त किया एक कठोरतम व्याधि है और काबिज व्यक्ति को बेदखल कर हम रिसीवर नियुक्त किया जाना उचित नहीं समझते हैं । विद्वान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा इस क्रम में उद्वरत नजीरें यहॉ चस्पा नहीं होती हैं । परीक्षण न्यायालय ने कुछ सहखातेदार के पक्ष में अन्य सहखातेदारों के विरूद्व अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर उनको रहन, बेचान नहीं करने और रेस्पोडेन्ट के कब्जे में हस्तक्षेप नहीं करने हेतु पाबन्द किया है जो त्रुटिपूर्ण है । इस कारण विद्वान् रेस्पोडेन्ट द्वारा उद्वरत नजीर आरबीजे (15) 2008 पेज 311 यहॉ चस्पा नहीं होती है । ऐसी स्थिति में जब राजस्व रिकॉर्ड में उभय पक्षकारान सहखातेदार दर्ज हैं व पक्षकारों के अधिकार एवं स्वत्व मूल दावे में साक्ष्य के उपरान्त तय होंगे हम उभय पक्षकारान को वादग्रस्त आराजी का रहन, बेचान न करने एवं अन्यथा खुर्द–बुर्द नहीं करने हेतु जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित समझते हैं ।

17. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपील अपीलान्ट संख्या 2021/24 एवं अपील संख्या 2021/25 आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । परीक्षण न्यायालय का निर्णय दिनांक 30.12.2020 निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :–

उभय पक्षकारान अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्टगण वादग्रस्त आराजी ग्राम किशनपुरा तहसील सांगोद की खाता संख्या 107 की आराजी हाल खसरा नम्बर 13 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नम्बर 14 रकबा 0.05, खसरा नम्बर 281 रकबा 0.07 हैक्टर, खसरा नम्बर 489 रकबा 0.65 हैक्टर, खसरा नम्बर 491 रकबा 0.32 हैक्टर, खसरा नम्बर 508 रकबा 0.23 हैक्टर, खसरा नम्बर 663 रकबा 0.07 हैक्टर, खसरा नम्बर 664 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 07 रकबा 0.15 हैक्टर, खसरा नम्बर 748 रकबा 0.30 हैक्टर, खसरा नम्बर 750 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 751 रकबा 0.10 हैक्टर, खसरा नम्बर 752 रकबा 0.41 हैक्टर, खसरा नम्बर 753 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नम्बर 760 रकबा 0.19 हैक्टर, खसरा नम्बर 761 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 763 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 765 रकबा 0.26 हैक्टर, खसरा नम्बर 767 रकबा 0.25 हैक्टर, खसरा नम्बर 769 रकबा 0.40 हैक्टर, खसरा नम्बर 772 रकबा 0.22 हैक्टर, खसरा नम्बर 773 रकबा 0.08 हैक्टर, खसरा नम्बर 779/1037 रकबा 0.25 हैक्टर, खसरा नम्बर 925 रकबा 0.01 हैक्टर कुल 25 किता की रकबा 4.29 हैक्टर एवं खाता संख्या नया 108 की खसरा नम्बर 193 रकबा 3.51 हैक्टर, खसरा नम्बर 282 रकबा 4.02 हैकटर, खसरा नम्बर 420 रकबा 1.87 हैक्टर, खसरा नम्बर 740 रकबा 0.76 हैक्टर, खसरा नम्बर 741 रकबा 0.65 हैक्टर, खसरा नम्बर 770 रकबा 0.89 हैक्टर, खसरा नम्बर 794 रकबा 0.22 हैक्टर, खसरा नम्बर 08 रकबा 1.15 हैक्टर, खसरा नम्बर 883 रकबा 3.31 हैक्टर, खसरा नम्बर 937 रकबा 1.59 हैक्टर कुल 10 किता की रकबा 17.97 हैक्टर को ताफैसला वाद रहन, बेचान एवं अन्यथा खुर्द–बुर्द नहीं करें ।

18. निर्णय आज दिनांक 27.09.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

27/9/2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा